

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक-वि०प्रा०(1) वि०-06/2017

187

/दिनांक:- 23.7.2019

आदेश

श्री रमन कुमार, सहायक प्राध्यापक (विद्युत), शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम को बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के अधीन शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के पदाधिकारी/कर्मियों के वेतन निकासी हेतु अगले आदेश तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की वित्तीय शक्ति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



सरकार के संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- वि०प्रा०(1) वि०-06/2017

2572

/दिनांक:- 13.7.2019

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- वि०प्रा०(1) वि०-06/2017

2572

/दिनांक:- 23.7.2019

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सासाराम/ प्रभारी प्राचार्य कार्यालय, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम/ आई0टी0 मैनेजर को (अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।